सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा

श्री बाबूलाल पुत्र श्रवण जाति मीना निवासी चौकीदारों की ढाणी, लालसोट रोड, दौसा जिला दौसा (राज0)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा

अपील सं0 68/2017

<u>निर्णय</u> दिनांक 20.12.2017

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/ सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जॉच टिप्पणी मॅगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, दौसा द्वारा उनके पत्रांक पीए/एफ–34 /भू0अवा0(2)(2) 2017/4037 दिनांक 19.12.17 द्वारा अवगत कराया कि प्रार्थीया श्रीमति इन्दिरा पत्नी महेश मीना जरिये ससुर बाबूलाल मीना सेंट मेरी स्कूल के पीछे, दौसा द्वारा प्रा0 पत्र प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा प्रार्थी को सूचित किया गया था कि वे कार्यालय में उपस्थित होकर पत्रावली का अवलोकन कर वॉछित सूचना प्राप्त कर सकते है। किंतु प्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक भी कार्यालय में उपस्थित नहीं हुये। फिर भी उनके द्वारा पत्रांक पीए/एफ–34/भू0अवा0(2)(2) 2017/4036 दिनांक 19.12.17 द्वारा वॉछित सूचना तैयार कर प्रार्थी को भिजवाई जा चुकी हैं। पत्रादि की छाया प्रति पत्रावली में संलग्न है। इससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक को वॉछित सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो ।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा